

24/11/20 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 24/11/21 को पेश हो।

S/My
(साहब) बलौर
(S.D.O.) बलौर

24/11/21

बादी वकील उपस्थित। शक्तिवती
के इस्तफा हेतु दिनांक 20/11/21
को पेश हो।

S/My
(साहब) बलौर
(S.D.O.) बलौर

30/3/21

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 30/3/21 को पेश हो।

S/My

18/5/21

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 18/5/21 को पेश हो।

S/My

7-9-21-पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 7-9-21 को पेश हो।

09/09/21


बादी वकील उपस्थित।
पेशकार सरकार उपस्थित।

पेशकार सरकार ने निवेदन किया कि
वाद ग्रन्थ आराजी राजकीय भूमि में बादी
की दायित्व केवल मात्र उत्तरदायिनी की है, इनके
विस्तृत समर्थन पर धारा 91 RLR ACT के तहत
कार्यवाही की जाकर बिदरबल किया गया है,
राजकीय भूमि पर केवल मात्र उत्तरदायिनी की
दायित्व के दावा लाने के अधिकारी नहीं हैं।


S/My



इसलिये वादी का वाद-पत्र केवल मात्र कब्जे के आधार पर श्वातेदारी घोषणा का प्रारम्भिक स्टेज पर ही स्वरिज कराने का निवेदन किया गया। विशेषकर सरकार व वादी के वकील भी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, वाद अवलोकन से पाया जाता है कि अरहद मौजा मेवाणगर के श्वेत रक्सा नम्बर 396 रकबा 630 बीघा 01 विस्वा मैसे 50 बीघा भूमि वादग्रस्त आरजी पर अतिक्रमि की हैसियत से कब्जा काय्य रहा है, धारा 91 RLA Act के तहत समय-समय पर कार्यवाही कर बेदरबत किया जाता रहा है, वादी के द्वारा कब्जे के आधार पर वाद-पत्र श्वातेदारी की घोषणा का प्रस्तुत किया गया है, कब्जे के आधार पर वाद पत्र श्वातेदारी की घोषणा का प्रस्तुत किया गया है, कब्जे के आधार पर अतिक्रमि की हैसियत से प्रस्तुत दावा चलने योग्य नहीं है, लिहाज वादी के वाद-पत्र को इसी स्टेज पर अस्वीकार कर स्वरिज किया जाता है। डिमी पचा जारी हो।

()
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली के सल शमार होकर नम्बर से कम हो।

()
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा